कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी / सचिव

संचालन प्रबंधन समिति, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

क्र./117 /संविदा भर्ती/नियुक्ति आदेश/2023 दिनांक 06/04/2023

–:: आदेश ::–

संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्र. /स्वा.आ.अं.मा./2021–22/161 रायपुर दिनांक 10.05.2021 एवं छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/23–08/2020/20–3/23/ अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03.07.2020 तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजनान्तर्गत मुंगेली जिला के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 15/12/2022 एवं दिनांक 06/04/2023 को जारी अंतिम चयन सूची के आधार पर कॉलम नं.2 में उल्लेखित सेजेस शाला हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है। चयनित अभ्यर्थी संबंधित शाला में दिनांक 15.04.2023 सायं 5 बजे तक कार्यभार ग्रहण कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियुक्ति आदेश स्वयं निरस्त माना जावेगा। चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करते समय सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों के साथ स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।

क्र	विद्यालय का नाम	पद का नाम एवं विषय	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	चयन का प्रवर्ग	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	पता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAGES PATHARIYA	Teacher Science (English Medium)	Poonam Bharti Patel	Tilakram Patel	GEN	35400/-	C/o Rishi Gauraha Barchhapara Sarkanda Lane no 6 Bilaspur Chhattisgarh PIN 495001

<u>नियुक्ति की शर्ते :–</u>

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे।
2. पद/नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होंगे।
3. अभ्यर्थी द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को कैलेण्डर वर्ष ममें 18 दिनों का आकस्मिक एवं 03 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महिनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिए जायेंगे।
5. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
6. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक माह का नोटिस देकर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।

7. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर जारी आदेश लागू होंगे।

8. संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश लागू होंगे।

9. संविदा आधार पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य वर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्णकालिक सेवा विद्यालय को देनी होगी।

10. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति पद पर तीन वर्ष कालावधि के लिए की जाती है। तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के उपरांत छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के नियम 11 अंतर्गत उपयुक्तता के आधार पर नवीनीकरण हेतु निर्णय लिया जायेगा।

11. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के उपनियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

12. चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड जिला–मुंगेली द्वारा शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

14 संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

15. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा भविष्य में नियुक्ति के संबंध में पारित किसी भी निर्णय के अधीन होगा।

16. चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित परिशिष्ट–एक (अनुप्रमाणन फार्म) में समस्त वांछित पूर्तिया उपरांत कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में विपरीत अभ्युक्ति पाई जावेगी तो सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

18. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

19. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।

20. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी / सचिव
संचालन प्रबंधन समिति,
स्वामी आत्मानंद शास. इंग्लिश स्कूल, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

दिनांक 06/04/2023

पृ.क्र./118/संविदा भर्ती/नियुक्ति आदेश/2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली, (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सर्व संबंधित प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल, जिला–मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराते समय दस्तावेजो का सत्यापन कर लेवें एवं किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करें।
7. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी/सचिव

संचालन प्रबंधन समिति,

स्वामी आत्मानंद शास. इंग्लिश स्कूल, जिला–मुंगेली (छ.ग.)